भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1269

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 28 जुलाई, 2025/06 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है)

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार स्तर

1269. श्री अरुण भारतीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू खाता घाटा कम करने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को बनाए रखने के लिए सेवा निर्यात में मजबूत प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) स्वर्ण धारण में निवेश और आर्थिक अस्थिरता से सुरक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सेवा निर्यात और धन प्रेषण को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) भविष्य में किसी भी संभावित वित्तीय या आर्थिक संकट से निपटने के लिए विदशी मुद्रा भंडार द्वारा समर्थित आकस्मिक उपायों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;और

(ङ) क्या सरकार दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा या प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बढ़ते भंडार का लाभ उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के भुगतान संतुलन (बीओपी) आँकड़ों के अनुसार, भारत का निवल सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 143.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष वित्त 2024-25 में बढ़कर 188.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सेवा निर्यात भारत के विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो चालू खाता घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान देता है।

(ख) आरबीआई अधिनियम, 1934, मुद्राओं, लिखतों, निर्गमकर्ताओं और प्रतिपक्षकारों से संबंधित व्यापक मानदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के रूप में भंडारों के परिनियोजन हेतु एक व्यापक विधिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों में बहु-मुद्रा आस्तियां शामिल होती हैं जिन्हें मौजूदा मानदंडों के अनुसार बहु- आस्ति पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जो इस संबंध में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, पोर्टफोलियो में विविधता लाते हुए भंडार प्रबंधन में नई कार्यनीतियों और प्रोडक्ट के अन्वेषण के उद्देश्य से, भंडार के एक छोटे हिस्से का प्रबंधन बाह्य आस्ति प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है। बाह्य आस्ति प्रबंधकों द्वारा किए गए निवेश आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार अनुमेय कार्यविधियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(ग) भारत सरकार भारत के सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार पहुंच के संबंध में बातचीत करना।

ii. सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी, उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन आदि जैसे राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और आयोजन के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। विशिष्ट बाजारों और क्षेत्रों के लिए संकेंद्रित कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं।

iii. हितधारकों के साथ समय-समय पर परामर्श के माध्यम से चिह्नित घरेलू क्षेत्रीय चुनौतियों और कठिनाइयों से निपटना। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया जाता है।

सीमा-पार अंतरण की बढ़ी हुई सुविधा, गति और पारदर्शिता से भारत में आवक धन विप्रेषण को सुगम बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, आरबीआई ने मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों (एमटीओ) को बैंकों के साथ मिलकर डिजिटल प्रोडक्ट पेश करने की अनुमति दी है ताकि लेनदेन को और अधिक सहज बनाया जा सके। नवंबर 2021 में, आरबीआई ने मनी ट्रांसफर सेवा योजना के तहत विप्रेषण के लाभार्थियों को बैंकों और अधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं जिन्हें विदेशी प्रिंसिपल के भारतीय एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है द्वारा प्रीपेड लिखतें जारी करने की घोषणा की, इसके अलावा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर सीमा-पार अंतरण की कम लागत से भी धन विप्रेषण को लाभ हुआ है। भारत अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को दुनिया भर की अन्य तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ जोड़ने के लिए कई द्विपक्षीय व्यवस्थाओं और चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के एफपीएस के बहुपक्षीय जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में अपनी भागीदारी के साथ सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।

(घ.) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छे स्तर पर बना हुआ है, जो मार्च 2025 तक 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जिससे लगभग 11 महीनों का आयात कवर प्राप्त होता है और बकाया विदेशी ऋण का 90.8 प्रतिशत कवर होता है। भंडार में अल्पावधिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात 20.1 प्रतिशत रहा। दिनांक 11 जुलाई, 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार की नवीनतम स्थिति 696.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

इसके अलावा, आरबीआई द्वारा देश में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई के लिए अल्पावधिक निवेश और संकेन्द्रण की सीमा को हटाना, सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में व्यावसायिक हित वाले अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाते शुरू करना; जमा को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2025 तक एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर की सीमा बढ़ाना आदि शामिल हैं।

(ङ) विदेशी मुद्रा भंडार का निवेश सुरक्षा, नकदी और रिटर्न के उद्देश्य से किया जाता है और इसका निवेश केवल अनुमोदित संप्रभु और संप्रभु-गारंटीकृत निवेशों में ही किया जाता है।

****